

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-08/2012-

/पटना, दिनांक-

डा० रिमिता सिंह, उप निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग सस्थान, पटना को दिनांक-
12.04.2026 से 20.04.2026 तक की अवधि में विदेश (जापान) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के
साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० सिंह, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेगी।
3. डा० सिंह, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
4. डा० सिंह, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
5. डा० सिंह, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर यागदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० सिंह, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


/पटना, दिनांक-24.03.26

ज्ञापांक-17/एल 1-08/2012-367(17)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग सस्थान, पटना/डा० रिमिता सिंह, उप निदेशक, इन्दिरा
गाँधी हृदय रोग सस्थान, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
24/03/26